भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3273
08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जेलों में स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ

†3273. श्री तनुज पुनियाः
श्री बलवंत बसवंत वानखडेः
एडवोकेट डीन कुरियाकोसः
श्री बैन्नी बेहननः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जेलों में कार्यरत स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और जेलों में देखभाल के साथ-साथ उपचार प्रदान करने वाले मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या कितनी है और जेलवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार किस तरह की देखभाल की जा रही है;
(ख) स्वास्थ्य पेशेवरों की रिक्तियों की संख्या कितनी है और जेलों में उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रकार का जेलवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(ग) देशभर की जेलों में स्वास्थ्य पेशेवरों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश में महिला कैदियों के लिए उपलब्ध यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): एनसीआरबी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, ब्यूरो द्वारा विशिष्ट जानकारी नहीं रखी जाती है। हालाँकि, नवीनतम प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2022 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत और वास्तविक चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या अनुलग्नक-I में है और 31 दिसंबर, 2022 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत और वास्तविक मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक की संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।

(ग) और (घ): गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 'कारागार'/'उनमें बंद किए गए' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के अंतर्गत एक "राज्य-सूची" विषय है। कारागारों और कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन, जिसमें स्वास्थ्य पेशेवरों के रिक्त पदों को भरने और जेल के कैदियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी शामिल है, संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जो अपने क्षेत्राधिकार में आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम हैं।

दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत और वास्तविक संख्या											
सं .	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर / मेडिकल ऑफिसर		फार्मेसिस्ट		लैब तकनीशियन / लैब अटेंडेंट		अन्य		कुल (चिकित्सा स्टाफ)	
		स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	आंध्र प्रदेश	22	21	11	10	3	1	24	15	60	47
2	अरुणाचल प्रदेश	2	2	4	3	0	0	4	4	10	9
3	असम	31	8	29	21	6	4	8	7	74	40
4	बिहार	232	134	110	65	16	0	141	87	499	286
5	छत्तीसगढ़	46	19	55	33	6	2	9	1	116	55
6	गोवा	6	1	0	0	0	0	7	1	13	2
7	गुजरात	33	28	26	16	6	4	40	27	105	75
8	हरियाणा	36	19	28	16	5	4	30	10	99	49
9	हिमाचल प्रदेश	4	3	19	6	0	0	0	0	23	9
10	झारखंड	49	12	17	11	3	2	128	62	197	87
11	कर्नाटक	27	7	17	10	7	5	29	7	80	29
12	केरल	12	10	13	11	5	3	21	14	51	38
13	मध्य प्रदेश	58	40	59	49	5	3	69	31	191	123
14	महाराष्ट्र	44	34	47	31	9	5	0	0	100	70
15	मणिपुर	9	8	6	5	0	0	25	16	40	29
16	मेघालय	5	5	5	5	0	0	10	9	20	19
17	मिजोरम	3	2	4	1	0	1	5	9	12	13
18	नागालैंड	0	0	5	4	0	0	0	0	5	4
19	ओडिशा	94	35	90	57	0	0	6	1	190	93
20	पंजाब	42	34	48	36	3	0	6	2	99	72
21	राजस्थान	39	33	0	0	8	6	110	90	157	129
22	सिक्किम	2	1	2	1	0	0	3	3	7	5
23	तमिलनाडु	43	32	21	17	0	0	65	64	129	113
24	तेलंगाना	23	12	15	5	4	0	23	10	65	27
25	त्रिपुरा	3	3	9	4	0	0	16	13	28	20
26	उत्तर प्रदेश	158	103	156	60	35	14	79	19	428	196
27	उत्तराखंड	10	1	19	10	2	1	9	3	40	15
28	पश्चिम बंगाल	102	27	92	39	0	0	15	7	209	73
	कुल (राज्यों में)	1135	634	907	526	123	55	882	512	3047	1727
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	1	1	1	1	3	3	6	6

30	चंडीगढ़	2	2	5	4	0	0	0	0	7	6
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	130	90	38	27	13	11	210	193	391	321
33	जम्मू और कश्मीर	20	12	28	19	10	10	52	21	110	62
34	लद्दाख	1	0	2	0	1	0	3	1	7	1
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2
	कुल (संघ राज्य क्षेत्रों में)	155	106	74	51	25	22	269	219	523	398
	कुल (अखिल भारतीय)	1290	740	981	577	148	77	1151	731	3570	2125
🕐राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार।											

दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक मनोचिकित्सक /मनोचिकित्सक की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत और वास्तविक संख्या			
सं .	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक**	
		स्वीकृत	**वास्तविक**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आंध्र प्रदेश	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	2	0
4	बिहार	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0
6	गोवा	0	0
7	गुजरात	2	2
8	हरियाणा	2	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0
10	झारखंड	0	0
11	कर्नाटक	8	4
12	केरल	0	0
13	मध्य प्रदेश	0	0
14	महाराष्ट्र	8	2
15	मणिपुर	0	0
16	मेघालय	0	0
17	मिजोरम	0	0
18	नागालैंड	0	0
19	ओडिशा	0	0
20	पंजाब	4	0
21	राजस्थान	0	0
22	सिक्किम	0	0
23	तमिलनाडु	15	10
24	तेलंगाना	1	1
25	त्रिपुरा	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	0
27	उत्तराखंड	0	0
28	पश्चिम बंगाल	16	2
कुल (राज्यों में)		58	21
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
30	चंडीगढ़	1	0
31	दादरा और नगर हेवली तथा दमन और दीव	0	0
32	दिल्ली	10	4
33	जम्मू और कश्मीर	0	0
34	लद्दाख	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0
36	पुदुचेरी	0	0
कुल (संघ राज्य क्षेत्रों में)		11	4
कुल (अखिल भारतीय)		69	25

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार।
